बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो0–4/1–48/2012 3311 /यो0वि0,पटना,दिनांक 17 अगस्त,2012 21 AUG 2012

प्रेषक,

विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव

सेवा में

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी निगम/सोसाइटी के प्रबंध निदेशक/सचिव

विषयः योजनाओं की राशि पर अर्जित ब्याज के उपयोग के संबंध में मार्गनिदेश।

महाशय,

कई विभागों के द्वारा राज्य, केन्द्र या केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि की राज्य या क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर निकासी कर सोसाइटी अथवा निगम के माध्यम से योजनाओं पर व्यय किया जाता है । सोसाइटी/निगम के द्वारा बैंक में राशि का संधारण किया जाता है, जिस पर ब्याज का अर्जन होता है । अर्जित ब्याज की राशि के व्यय के संबंध में स्पष्ट दिशा निदेश न रहने के कारण अलग–अलग संस्थाओं में अलग–अलग ढंग से ब्यांज की राशि का व्यय किया जाता है। इस संबंध में एक स्पष्ट दिशा निदेश जारी करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2. सम्यक विचारोपरान्त ब्याज की राशि की उपयोग को तर्कसंगत बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि :–

(i) सामान्यतया कोषागार से राशि की निकासी तभी की जाय जब राशि के व्यय के लिए सभी तैयारियाँ यथा भूमि का चयन, भूमि का हस्तांतरण पूरी कर ली गयी हो। तैयारियाँ पूरी होने पर ही इसे निकालकर समिति या निगम को दिया जाय।

(ii) जिस केन्द्र या केन्द्र प्रायोजित योजना में ब्याज की राशि के व्यय के संबंध में स्पष्ट निदेश दिया गया हो उसमें उन्हीं निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(iii) अन्य सभी योजनाओं से सबंधित राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि को निगम/समिति के स्तर पर अलग हिसाब रखा जाय तथा कैशबुक में इसे अलग–अलग दिखाया जाय। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद निगम/सोसाइटी द्वारा राशि का आवंटन करने वाले प्राधिकार को इसका विवरण देगा।

(iv) लगातार चलने वाली योजनाओं में सूद की राशि का उपयोग उसी योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में पूर्व वर्ष में कार्यक्रम की राशि पर अर्जित सूद की राशि घटाकर आवंटन विमुक्त किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कार्यक्रम में राशि की वार्षिक आवश्यकता 10 करोड़ रूपये की है तथा पूर्व के वर्षो की बचत 1 करोड़ रूपये तथा सूद की राशि 50 लाख की है उसे केवल 8.50 करोड़ राशि का आवंटन किया जाय।

4387
23/8/2012

(v) किसी योजना विशेष या स्कीम के लिए प्राप्त राशि पर अर्जित सूद को उस योजना के लिए ही व्यय किया जाय। ब्याज की राशि का उपयोग प्राक्कलन के उर्ध्व पुनपरीक्षण (upward revision) की स्थिति में बढ़ी हुई राशि के वहन के लिए किया जा सकेगा। प्राक्कलन का पुनरीक्षण होने पर विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि का आवंटन निगम या सोसाइटी में उपलब्ध ब्याज की राशि को घटा कर दिया जाय।

(vi) योजना विशेष के लिए स्वीकृत राशि के अधीन योजना पूर्ण हो जाय और प्राक्कलन के पुनरीक्षण की आवश्यकता न हो तो अर्जित ब्याज ही राशि को प्राप्ति शीर्ष 0049–ब्याज प्राप्तियाँ के संगत उप शीर्ष में जमा करा दिया जाय।

(vii) ब्याज की राशि से आकस्मिकता, स्थापना या वाहन के क्रय पर व्यय अनुमान्य नहीं होगा।

(viii) संबंधित सोसाइटी/निगम के अंकेक्षण प्रतिवेदन में ब्याज की राशि के व्यय के संबंध में अलग विवरणी एवं टिप्पणी दी जायेगी।

3. निगम राज्य सरकार से इतर स्रोतों से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त निधि पर अर्जित सूद को अपने उपयोग हेतु रख सकता है।

4. इस निदेश पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

ये निदेश अविलंब लागू होंगे । इन निदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

14.8.12

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: यो0–4/1–48/2012 3311 /यो0वि0,पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2012

प्रतिलिपि: महालेखाकार लेखा परीक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।

14.8.12

प्रधान सचिव